

online
2018/00081

36/2018

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/राजस्व/2018/ 1179

दिनांक:-23.03.2018

26

आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वजट घोषणा 2015-16 के परिप्रेक्ष्य राजस्व विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र प. 3 (2) राज-6/2003 /पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619-44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 328-53/राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 277/राजस्व/2018 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता चालू होकर ग्रामप्रसादवाली ग्रेवल सड़क से प्रारम्भ होकर त्रिलोकपुरा-श्रीमाधोपुर को जोड़ता है। जो सार्वजनिक हित का काम आ रहा है। रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध व रुकावट नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रक्बा रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने बाबत अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 की प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप दर्ज किये जाने के आदेशा दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। गै.मु. रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे।

क्र. सं.	नाम मण्डल	पटवार	राजस्व ग्राम	खसरा न.	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1.	नांगल		नांगल	603	1.45 हैक्टर वारानी 1	0.0200 हैक्टर
2.	नांगल		नांगल	604	0.36 हैक्टर वारानी 1	0.0300 हैक्टर
3.	नांगल		नांगल	605	0.40 हैक्टर वारानी 1	0.0350 हैक्टर
4.	नांगल		नांगल	642	1.24 हैक्टर वारानी 1	0.0400 हैक्टर
5.	नांगल		नांगल	643	0.52 हैक्टर वारानी 1	0.0200 हैक्टर
6.	नांगल		नांगल	644	0.64 हैक्टर वारानी 1	0.0200 हैक्टर
7.	नांगल		नांगल	646	0.86 हैक्टर वारानी 2	0.0300 हैक्टर
8.	नांगल		नांगल	647	0.20 हैक्टर वारानी 2	0.0750 हैक्टर
9.	नांगल		नांगल	655	1.58 हैक्टर वारानी 2	0.0300 हैक्टर
10.	नांगल		नांगल	664	1.26 हैक्टर वारानी 2	0.0250 हैक्टर
11.	नांगल		नांगल	665	2.67 हैक्टर वारानी 2	0.1400 हैक्टर

संलग्न:- प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस।

Gm-
(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)